फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

रिंकू शर्मा बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुकदमा नम्बरः–7 सन् 2020
RCMS No. 2020/00016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18.03.20	यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री रिंकू शर्मा पुत्र श्री नाथूराम निवासी ग्राम खुड़िला तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी धौलपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली वास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 30.03.2020 को पेश हो। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	252 253 18.3.20
8.7.2020	कोरोना महामारी के कारण पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) धौलपुर से टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.02.2020 को आवेदन किया। जिसके संबंध में पत्रांक 187 दिनांक 25.2.2020 के द्वारा अपीलान्ट को चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया। सूचना लेने हेतु अपीलान्ट कार्यालय में उपस्थित नहीं आया एवं न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी। जब अपील प्रति उन्हें प्राप्त हुई तो उन्होंने अपीलान्ट का मोबाइल नम्बर अन्य लोगों से प्राप्त कर मोबाईल पर दिनांक 19.3.2020	

PTO

को बात करने पर अपीलार्थी ने कहा कि वह कल आकर सूचना प्राप्त कर लेगा। दिनांक 20.3.2020 को पुनः मोबाइल पर कॉल करने पर अपीलार्थी ने कॉल रिसीव नहीं किया और ना ही उपस्थित आकर सूचना प्राप्त की। अपीलार्थी को सूचना देने में कोई देरी नहीं की गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपी अपीलार्थी को अवलोकन कराते हुये प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। प्रकरण फैसलशुमार हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम किया जावे।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर